

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2012 के अनुसार श्रीमती पुतुल देवी पति बालमुकुंद यादव, शिवनंदन कुमार यादव पिता बालमुकुंद यादव, जानन्द यादव पिता स्व० दिनेश प्रसाद यादव, आनंद कुमार यादव पिता स्व० दिनेश प्रसाद यादव, सरस्वती देवी पति विजय यादव एवं रीशन यादव पिता विजय यादव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 98 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 755, 601, 689, 1338, 1977, 1086, 1679, 1690, 1699, 1697, 1963, 758, 2146, 2152 कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाढ़े जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 98 के अधीन प्लॉट सं:- 755, 601, 689, 1338, 1977, 1086, 1679, 1690, 1699, 1697, 1963, 758, 2146, 2152 कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के श्रीमती पुतुल देवी पति बालमुकुंद यादव, शिवनंदन कुमार यादव पिता बालमुकुंद यादव, जानन्द यादव पिता स्व० दिनेश प्रसाद यादव, आनंद कुमार यादव पिता स्व० दिनेश प्रसाद यादव, सरस्वती देवी पति विजय यादव एवं रीशन यादव पिता विजय यादव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

*Cham*  
18/11/17